न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 33 / 2021 निर्णय दिनांक :–08.10.2024

उनवानी दावा :

कजोड़ पुत्र भूरा बैरवा निवासी रंगबिलास तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 –वादी–

बनाम

तहसीलदार दूनी, जिला टोंक राज0 . **–प्रतिवादी–**

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 4

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूरस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1935 रकबा 0.86 है, ख0न0 1942 रकबा 1.48 है0, ख0न0 820 रकबा 0.65 है, ख0न0 821 रकबा 0.16 है, गै मु चाह, ख0न0 822 रकबा 0.02 है0, ख0न0 900 रकबा 0.91 है0, किता 6 रकबा 4.08 है0 ग्राम चन्दवाड तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है। वादी उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमियो का काबिज तथा एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है ओर काश्त कर रहा है, वर्तमान मे उक्त भूमि की खातेदारी का अंकन जमाबन्दी स0 2074 से 2077 खाता स0 26 ग्राम चन्दवाड तहसील दूनी मे निम्न प्रकार किया है :–

वादी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–––

चन्द्रा –मृतक
|
|
––
| |
भूरा कंवरा
| |
मृतक मृतक–पत्नी मांगी
| देवी–मृतक लाऔलाद
कजोड़ पुत्र |
|
वादी

उक्त वर्णित सजरे के अनुसार चन्द्रा के दो पुत्र भूरा व कंवरा हुऐ जिसमे कंवरा लाऔलाद मरा है तथा उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है उनका वारिस भी तहत कानून वादी है जो भूरा का पुत्र है। जमाबन्दी मे सहवन से वादी के

8/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

पिता का नाम चन्द्रा अंकित कर दिया जो वर्तमान जमाबन्दी मे कजोड पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/2 व कंवरा पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/2 के रूप मे दर्ज किया हुआ है जो त्रुटिपूर्ण है क्योकि वादी चन्द्रा का पुत्र न होकर उसका पौत्र है अर्थात भूरा का पुत्र है, वादी के पिता का नाम भूरा है जैसा कि ग्राम चन्दवाड तहसील दूनी की अन्य भूमि ख0न0 1846 रकबा 0.50 है0 मे भूरा पुत्र चन्द्रा अंकित है अर्थात चन्द्रा का पुत्र भूरा था तथा भूरा का पुत्र वादी है, वादी के सभी दस्तावेजात मे पिता का नाम भूरा अंकित है, चन्द्रा वादी का दादा था न कि पिता, इन भूमियो मे जमाबन्दी मे सहवन से वादी के पिता का नाम भूरा अंकित करने के बजाऐ चन्द्रा अंकित कर दिया जो दुरूस्त करने योग्य है । जमाबन्दी में कंवरा पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/2 अंकित है, तथा वादी को भी कजोड़ पुत्र चन्द्रा के रूप में अंकित किया हुआ है जबकि वादी व कंवरा दोनो भाई नही थे बल्कि चाचा–भतीजे थे, कंवरा वादी का चाचा था तथा वादी भूरा का पुत्र है, जमाबन्दी में गलत रूप से अंकन करके दोनो को भाई के रूप में अंकित कर दिया। कंवरा वादी का चाचा था, भाई नही था, कंवरा व उसकी पत्नी लाऔलाद फोत होने के कारण तहत कानून हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत कंवरा पुत्र चन्द्रा का 1/2 हिस्सा भी स्वतः ही वादी में निहीत हो गया है, वादी सम्पूर्ण 4.08 है0 ग्राम चन्दवाड़ पर तनहा खातेदार के रूप में काबिज है के तथा उक्त भूमियो की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाने के लिए अधिकारी है, तथा वादी को कजोड़ पुत्र भूरा बैरवा के रूप मे काबिज काश्तकार घोषित किये जाने के लिऐ दावा डिक्री किये जाने योग्य है तथा त्रुटिपूर्ण कजोड पुत्र चन्द्रा के स्थान पर कजोड़ पुत्र भूरा अंकित करने तथा मृतक कंवरा पुत्र चन्द्रा का नाम जमाबन्दी से हटाने योग्य है। बिनायदावा 8–10 दिन पहले उत्पन्न हुआ जब वादी के काफी प्रयास के बाद भी वर्तमान जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम भूरा अंकित नही किया इस कारण तथा कंवरा पुत्र चन्द्रा की विरासत का नामान्तकरण वादी कजोड़ पुत्र भूरा के नाम दर्ज नही किया इस कारण माननीय न्यांयालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करना आवश्य क हुआ वो वादी को लगातार बिनायदावा प्राप्त है तथा न्यायालय का वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वयं की खातेदारी की व कब्जे के की भूमि के सम्बन्ध में केवल मात्र नाम दुरुस्त व खातेदारी की घोषणा का है जिसमें राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नही है परन्तु तहत कानून धारा 80 सी–पी–सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी उनके बिना नोटिस दिये ही दावा प्रस्तुत कर रहा है क्योकि वादी को उक्त भूमियों के उपयोग–उपभोग में कई प्रकार की परेशानियां तथा असुविधा उत्पन्न हो रही है। वादी इन भूमियों को काश्तकार होते हुऐ भी सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है इस कारण मामला आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नेटिस दिये ही दावा किया जा रहा है इसके लिए धारा 80(2) सीपीसी का प्रा. पत्र वास्ते छुट प्रदान किये जाने पेश किया जा रहा है। राज0 टि0 एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार पारित की जावे।

8/10/2024

अः– वादी को ख. नं. 820 ,821, 822, 900 1935, 1942, किता 6 रकबा 4.8 है0 ग्राम चन्दवाड तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम चन्द्रा के स्थान पर भूरा अंकित करवाया जावे तथा कंवारा पुत्र चन्द्रा का नाम हटाया जावे।

बः– अन्य सहायता प्रदान करावी वावे ।

प्रतिवादीगण तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी तहसीलदार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–बिन्दू सं. 1 स्वीकार है। बिन्दू सं. 2 स्वीकार है। बिन्दू सं. 3 अस्वीकार है, वादी सजरा अनुसार सिद्ध करे। बिन्दू सं. 4 अस्वीकार है; वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू सं. 5 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू सं. 6 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू सं. 7, 8, 9 कानूनी प्रकिया के बिन्दू है जो न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेषः–वादी राजस्व रिकॉर्ड .के माध्यम से अपना पक्ष साबित करे।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये जो इस प्रकार हैः–

<u>तनकियात बिन्दूः</u>–

1. **आया वादी वाद वर्णित आराजीयात हाल ख. नं. 820, 821, 822, 900, 1935, 1942 किता 6 रकबा 4.8 है0 भूमि वाके ग्राम चन्दवाड़ तहसील दूनी जिला टोंक की भूमि का वादी स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर, जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम चन्द्रा के स्थान पर भूरा अंकित करवाने तथा कंवरा पुत्र चन्द्रा का नाम हटवाने का अधिकारी है ?**
–वादी–
2. **आया प्रतिवादी वादी द्वारा आवश्यक राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं करने के कारण वांद अस्वीकार योग्य है?**
–पेरोकार सरकार–

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं वादी का पी. डब्ल्यू–1 कजोड़ पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र 77 साल निवासी रंगबिलास तहसील दूनी जिला टोंक का पेश किया और प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 व 2 जमाबन्दी , प्रदर्श–3 व 4 मृत्यु प्रमाण पत्र है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 दुर्गालाल पुत्र देवकारण जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी रंगबिलास तहसील दूनी जिला टोंक व गोकल पुत्र हीरालाल जाति बैरवा आयु बालिग निवासी रंगबिलास तहसील दूनी जिला टोंक के पेश किये।

पेराकार सरकार ने जिरह नहीं करना जाहिर करने से जिरह निल रही।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वादमिमो का दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र डिकी करने की प्रार्थना की।

8/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

तनकीवार निर्णय

तनकी नं. 1 का निर्णय:– तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 व 2 जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 26 में कजोड़ पुत्र चन्द्रा व कवरा पुत्र चन्द्रा के नाम का अंकन है। प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.06.2015 में कंवरा के पिता का नाम चन्दा बैरवा के नाम का अंकन है। प्रदर्श–4 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.06.2015 में भूरा के पिता का नाम चन्दा बैरवा का अंकन है। वाद के समर्थन में अन्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 1846 वाके ग्राम चन्दवाड़ में भूरा पुत्र चन्द्रा का अंकन है। पहचान पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति जिसमें कजोड़ के पिता का नाम भूरा का अंकन है।

वादी प्रदर्श–1 व 2 जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 26 में कजोड़ पुत्र चन्द्रा के स्थान पर कज़ोड़ पुत्र भूरा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाना चाहता है तथा साथ ही जमाबन्दी में अंकित कंवरा पुत्र चन्द्रा को हटवाकर सम्पूर्ण आराजी का तनहा खातेदार घोषित करवाना चाहता है परन्तु वादी ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिससे यह साबित हो सके कि कजोड़, चन्दा का पुत्र न होकर भूरा का पुत्र है और इस तरह का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि कंवरा के वादी के अलावा कोई अन्य वारिसान नहीं है।

अतः वादी द्वारा वाद को राजस्व दस्तावेज व अन्य सरकारी दस्तावेज से साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी नं. 2 का निर्णय:– तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी तहसीलदार पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय अुनसार इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार विवेचन अनुसार वादी द्वारा वाद के समर्थन में आवश्यक राजस्व दस्तावेजात व अन्य प्रलेखिय साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 08.10.2024 को सुनाया गया।

8/10/2024

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम
देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.....
उनवानी दावा :
कजोड़ पुत्र भूरा बैरवा निवासी रंगबिलास तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 –वादी–

बनाम

तहसीलदार दूनी, जिला टोंक राज0 –प्रतिवादी–

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88

मुकदमा नं. 33 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद के समर्थन में आवश्यक राजस्व दस्तावेजात व अन्य प्रलेखिय साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 10 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)
ओहदा .....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner